

अनुदान संख्या 83 – भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 83 - DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-	2511,40,00	1873,53,81	-637,86,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			637,80,59

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2501"	Major Head "2501"				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	3825.00			
			1493.47	1487.86	-5.61
पु.	R.	-2331.53			
मुख्य शीर्ष "2506"	Major Head "2506"				
भूमि सुधार	Land Reforms				
मू.	O.	22500.00			
			6809.59	6809.66	+0.07
पु.	R.	-15690.41			

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas	
मू.	O.	25010.00
पु.	R.	-25010.00
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"	
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments	
मू.	O.	198765.00
पु.	R.	-20710.00

178055.00 178055.00 ..

(I) ₹34010.00 लाख का प्रावधान चार मामलों में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹34010.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552" -

(क) "बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास घटक" - ₹8500.00 लाख;

(a) "Waste Land Development - National Waste Land Development Programme - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component" - ₹8500.00 lakhs;

(ख) "भूमि सुधार - अन्य व्यय - डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" - ₹2500.00 लाख; और

(b) "Land Reforms - Other Expenditure - Digital India Land Records Modernisation Programme" - ₹2500.00 lakhs; and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप-योजना - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास घटक" - ₹14010.00 लाख।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component" - ₹14010.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमों के लिए अनुदान – वाटरशेड प्रबंधन परियोजना “नीरांचल” – ₹9000.00 लाख – परियोजना के पुनर्गठन की वजह से विश्व बैंक द्वारा अदायगी को रोकने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष “2501” – “बंजर भूमि विकास – राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “विश्व बैंक सहायता प्राप्त वाटरशेड प्रबंधन परियोजना “नीरांचल” – ₹1105.61 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के पुनर्गठन की वजह से विश्व बैंक द्वारा अदायगी को रोकने के कारण हुई।

(खा) “पेशेवर समर्थन और अन्य गतिविधियाँ” – ₹957.92 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने तथा किफायत के उपाय किए जाने कारण हुई थी।

(III) मुख्य शीर्ष “2506” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “निर्देशन और प्रशासन – डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” – ₹1273.21 लाख की बचत (₹1440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Watershed Management Project “Neeranchal” - ₹9000.00 lakhs - due to suspension of disbursement by World Bank owing to restructuring of project.

(II) Under Major Head “2501” - “Waste Land Development - National Waste Land Development Programme” - savings occurred under the following heads:-

(A) “World Bank Assisted Watershed Management Project “Neeranchal” - saving of ₹1105.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to suspension of disbursement by World Bank owing to restructuring of project.

(B) “Professional Support and Other Activities” - saving of ₹957.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(III) Under Major Head “2506” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Digital India Land Records Modernisation Programme” - saving of ₹1273.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1440.00 lakhs);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – भूमि सुधार – अन्य अनुदान” – ₹3403.92 लाख की बचत (₹4150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” – ₹1909.31 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घा) “अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम” – ₹9032.75 लाख की बचत (₹14310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत वित्त पोषण पैटर्न में बदलाव एवं राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/शेयर – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक” – ₹14407.10 लाख की बचत (₹143897.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास घटक” – ₹7211.00 लाख की बचत (₹37368.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹273.61 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 84 प्रतिशत थी।

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Land Reforms - Other Grants” - saving of ₹3403.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4150.00 lakhs);

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Digital India Land Records Modernisation Programme” - saving of ₹1909.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs); and

(D) “Other Expenditure - Digital India Land Records Modernisation Programme” - saving of ₹9032.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14310.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to change in funding pattern and receipt of less proposals from the State Governments.

(IV) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹14407.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹143897.00 lakhs); and

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - saving of ₹7211.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37368.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) Under one head saving of ₹273.61 lakhs occurred constituting 84 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – जनजातीय क्षेत्र उप – योजना – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास संघटक योजना” के अंतर्गत आंशिक रूप से अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹9908.10 लाख का अधिक व्यय (₹8500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Watershed Development Component” - excess of ₹9908.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.